रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-240180 CG-DL-E-10112022-240180

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5012] No. 5012] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 10 नवम्बर. 2022

का.आ. 5231(अ).—केंद्रीय सरकार सामूहिक संहार के आयुद्ध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिबंध) अधिनियम, 2005 (2005 का 21) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-खंड (ii) सां.आ. 1991(अ) तारीख 17 नवम्बर 2006 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में सारणी में, -

- (क) क्रम संख्यांक 5 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।
- (ख) क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

(1)	(2)	(3)
"7.	यथास्थिति, वित्त मंत्रालय या, गृह मंत्रालय और उनके संगठन।	"उक्त अधिनियम की धारा 12क के अधीन सामूहिक संहार के आयुद्ध और उनकी परिदान प्रणाली और उससे संबंधित अपराधों के अभियोजन के संबंध में वित्त पोषण पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित उपबंधों को लागू
		करने के लिए।"

[फा. सं. एई- 1/1060/6/2021] मुआनपुई सैयावी, संयुक्त सचिव

7459 GI/2022 (1)

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) अधिसूचना संख्या सां.आ. 1991(अ) तारीख 17 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2022

S.O. 5231(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (21 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendments in notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1991(E), dated the 17th November, 2006, namely:—

In the said notification, in the TABLE,—

- (a) against serial number 5, in the entry in column (2), for the words "the Central Board of Excise and Customs", the words, brackets and letters "Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)" shall be substituted;
- (b) after serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"7.	Ministry of Finance or, as the case may be, Ministry of Home Affairs, and their organisations.	to implement provisions relating to prohibition on financing in respect of weapons of mass destruction and their delivery systems and prosecution of offences relating thereto under section 12A of the said Act.".

[F. No. AE-I/1060/6/2021] MUANPUII SAIAWI, Jt. Secy.

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1991(E), dated the 17th November, 2006.